न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान फुलसिंह बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या –219../2024
निर्णय दिनांक 14/07/2025

फुलसिंह पुत्र पीरूराम जाति प्रजापत निवासी ढाणा पट्टा राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट

—::निर्णय::—

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा ढाणा पट्टा राजपुरा पटवार हल्का हड़ियाल तहसील तारानगर के खाता संख्या 52 के खसरा सं. 210/12 तादादी 2.2761 हैक्ट. राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम फुलाराम पुत्र पीरूराम अंकित है जबकि प्रार्थी का नाम फुलाराम न होकर फुलसिंह है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी का नाम फुलाराम न होकर फुलसिंह है प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारियों ने फुलसिंह के स्थान पर फुलाराम भूलवश राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया व उसी आधार पर जमाबंदी में भी फुलाराम के नाम दर्ज चला आ रहा है जो गलत है इसके स्थान पर फुलसिंह पुत्र पीरूराम नाम दर्ज होना चाहए था। जबकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेज व प्रमाण पत्रों में फुलसिंह पुत्र पीरूराम नाम ही दर्ज है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र व आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि दस्तावेजात में फुलसिंह पुत्र पीरूराम अंकित है जो सही है। प्रार्थी के नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थी को कृषि ऋण, फसल बेचान,के.सी.सी. कार्ड बनवाने आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब प्रार्थी जमाबन्दी में दुरूस्ती करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अतः कृषि भूमि रोही मौजा ढाणा पट्टा राजपुरा पटवार हल्का हड़ियाल तहसील तारानगर के खाता संख्या 52 के खसरा सं. 210/12 तादादी 2.2761 हैक्ट. में प्रार्थी का नाम फुलसिंह पुत्र पीरूराम किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने प्रार्थी का नाम फुलाराम पुत्र पीरूराम व फुलसिंह पुत्र पीरूराम दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र व आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम फुलसिंह पुत्र पीरूराम पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम फुलाराम पुत्र पीरूराम अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा ढाणा पट्टा राजपुरा पटवार हल्का हड़ियाल तहसील तारानगर के खाता संख्या 52 के खसरा सं. 210/12 तादादी 2.2761 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम **फुलाराम पुत्र पीरूराम Delete** कर इसके स्थान पर **फुलसिंह पुत्र पीरूराम** अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..14/7/2025.. को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)